

11-9-19

पत्रावली पेश हुई। जागीराय के वकिल उपस्थित
 हुए। अग्रार्थ उपस्थित हैं। अग्रार्थ एक अनुपस्थित
 हैं। अग्रार्थ की ओर से वकालतनामा पेश नहीं
 हुआ है। पत्रावली में वकील वकिल की बहस खरी
 गई। विवाह गुरुत मौज मोमराया की हकी अर्थात्
 उसका एक बेट अन्तर्गत धारा 188 R T Act के
 तहत न्यायालय में विचारणीय है। अर्थात् एक
 का अवलोकन करने को एक तरफ बहस पर
 मतलब कर रहे आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्ष
 मुल बेट के निस्तारण तक बेट गुरुत भूके एक
 लिफ्टी प्रभावत बनाई रखें। दोनों पक्षों को बहस
 बेट के निस्तारण तक जरूरी अस्थायी निवेदाओं
 के प्रावण दिए जाते हैं। पत्रावली दोकाल शुभ
 होकर बाबल के काम हो तब मुल बेट पर
 के साथ नली है।

उपस्थित अधिकारी
 खरवाडा जि उदयपुर

अधी

UCC

M. K. J.

प्रतिवादी

UCC